भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4226
दिनांक 18.03.2026 को उत्तर देने के लिए

नवीकरणीय ऊर्जा में भारत के नेतृत्व को बढ़ावा देना

4226. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को किस प्रकार आकर्षित करने की योजना बना रही है;

(ख) सरकार की अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि को कैसे प्रोत्साहित करने की योजना है;

(ग) सरकार की भारत की आर्थिक और राजनयिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ग्लोबल साउथ और नॉर्थ दोनों के साथ रणनीतिक साझेदारी को किस प्रकार संतुलित करने की योजना है;

(घ) क्या व्यापार सुगमता में सुधार लाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए किन्हीं कानूनी सुधारों पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा में देश को अग्रणी बनाने के लिए और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. वर्ष 2030 तक भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में 50% गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसने पहले ही गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत क्षमता का 52% हासिल कर लिया है।

2. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) का शुभारम्भ करके नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने में विश्व में अग्रणी भूमिका अदा की है। वर्तमान में, आईएसए के 111 सदस्य देश हैं, साथ ही 14 अन्य देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने की प्रक्रिया में हैं ताकि आईएसए असेंबली के पूर्ण सदस्य राज्य बन सकें। आईएसए का उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा के विकास और परिनियोजन को बढ़ावा देना है।

3. भारत ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन करना है ताकि भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाया जा सके।

4. भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है। सरकार ने विदेशी निवेश वाले क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की निकासी को सुगम बनाने के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर को भी बढ़ावा दिया है।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (आरई-आरटीडी) कार्यक्रम के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के आरएंडडी को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है, और प्रौद्योगिकी विकास के लिए उद्योगों और स्टार्ट-अप्स को 70% तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। अन्य प्रमुख पहलों में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और नई शुरू की गई अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना शामिल हैं। अनुसंधान विकास और नवाचार कोष (आरडीआईएफ) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत एक प्रमुख पहल है। इसे भारत के अनुसंधान एवं विकास और नवाचार इकोसिस्टम में निवेश को गति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आरडीआई का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में विचारों को बदलने के लिए सनराइज और कार्यनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले निजी क्षेत्र के उद्यमों, स्टार्ट-अप्स और उद्योगों का समर्थन करना है। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, योजना का लक्ष्य छह वर्षों में कुल 1 लाख करोड़ रु. के परिव्यय के साथ अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को उत्प्रेरित करना है।

(ग): सरकार ने भारत की आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैश्विक दक्षिण और उत्तर के साथ साझेदारी को संतुलित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. सरकार जलवायु परिवर्तन, डिजिटल समावेशन और गरीबी जैसी साझा चुनौतियों का समाधान करते हुए विकास सहयोग के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के साथ जुड़कर कार्य कर रही है। साथ ही, हम आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी साझाकरण और नीति शासन पर वैश्विक उत्तर के साथ भागीदारी करते हैं। भारत के पास वैश्विक दक्षिण देशों के साथ एक मजबूत विकास साझेदारी कार्यक्रम है जिसके तहत सरकार ऋण, अनुदान के साथ-साथ क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करती है।

2. भारत यह दर्शाने में अग्रणी रहा है कि आर्थिक विकास जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप शैली अपनाकर भी प्राप्त किया जा सकता है। भारत ग्लोबल साउथ के सरोकारों का भी समर्थन कर रहा है, जैसा कि सीओपी 29 में देखा गया है। सीओपी 29 के दौरान, भारत ने इस बात पर ध्यानाकर्षित किया कि वैश्विक दक्षिण को जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने में वैश्विक उत्तर को अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

3. भारत ने सीओपी 26 में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट (लाइफ) लॉन्च किया, जिसका मानना है कि भारतीय संस्कृति और परंपरागत जीवनशैली स्वाभाविक रूप से संधारणीय है। यह वैश्विक उत्तर और दक्षिण दोनों में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों के प्रयासों को प्रसारित करना चाहता है।

4. भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, भारत ने जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत करने की पहल की। इसके अलावा, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए), और आपदा प्रतिरोध अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) सहित कई पहलों का नेतृत्व किया है।

(घ) और (ङ): भारत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस (ईओडीबी) बढ़ाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए वैधानिक और नियामक सुधारों को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। प्रमुख पहलों में एफडीआई नीतियों को सुव्यवस्थित करना, क्षेत्रक उच्चतम सीमाओं (कैप) को उदार बनाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुपालन का सरलीकरण शामिल है।

- **एफडीआई नीति संशोधन (2026):** मंत्रिमंडल ने हाल ही में भूमि सीमावर्ती देशों (एलबीसी) से निवेश के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है ताकि स्वचालित मार्ग के तहत यदि लाभकारी स्वामित्व 10% से कम है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटकों, पूंजीगत वस्तुओं और सौर सेल में विनिर्माण में सहायता करता है तो 10% तक निवेश की अनुमति दी जा सके।
- **अपराधमुक्ति और अनुपालन:** जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2023 और अन्य सुधारों ने मामूली तकनीकी उल्लंघनों को अपराधमुक्त किया गया है और, फरवरी 2026 तक, व्यवसायों

पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए 16,000 से अधिक अनुपालन को सरल बनाया गया है या कम किया गया है।

- **श्रम सुधार:** अनुपालन को सरल बनाने के लिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित किया गया है, जिसमें कारखाने के निर्माण के लिए अनुमोदन समय सीमा को 90 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।
- **कर सरलीकरण:** स्टार्ट-अप्स के लिए "एंजल टैक्स" को समाप्त करने और विदेशी कंपनियों पर करों को कम करने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है।

इन सुधारों में, वर्ष 2025 में किया गया जीएसटी बदलाव शामिल है, जिसका उद्देश्य समग्र निवेश आकर्षण को मजबूत करना और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना शामिल है।

*****